एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बेंगलूरु

दिव्यांगजनों के लिए नीति

आमुख :

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन्ट्रिक्स), वैश्विक पटल पर एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कंपनी के रूप में उभरने के दृष्टिकोण के साथ इसरो तथा भारतीय उद्योगों द्वारा विकसित उत्पादों एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने वाली भारत सरकार की कंपनी है| अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत यह एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है| एन्ट्रिक्स, नया व्यापार प्रारूप जारी कर रहा है और प्रौद्योगिकी के अंतरण एवं इसरो तथा उद्योगजगत् के साथ सहयोग करके भारत में एक मज़बूत पारिस्थितिकी के निर्माण का बीड़ा उठा रखा है और मेधावी पेशेवर लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करता है|

नीति:

एन्ट्रिक्स, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त होने वाले निर्देशों का अनुसरण करता है| कंपनी की यह चेष्टा रही है कि कार्यस्थल पर प्रेरणादायी और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे जिससे दिव्यांगजन समानता के अधिकार, आत्मसम्मान भरे जीवन और दूसरों के समान अपनी सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान को पाकर गौरवान्वित महसूस कर सकें|

दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर :

एन्ट्रिक्स, दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के अधिकार के प्रावधानों और नियमों के अनुरूप दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए उनके दैनिक जीवन में समानता के आधार पर अपने काम में उन्हें भाग लेने, काम करने और अच्छा करने के उद्देश्य से अवसर और सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रयासरत है|

दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने हेतु सिद्धांत :

(क) अंतर्निहित गरिमा तथा अपनी पसंद के अनुरूप चयन करने और व्यक्तियों की स्वतंत्रता सहित वैयक्तिक स्वातंत्र्य,

(ख) भेद-भाव रहित व्यवहार;

(ग) समाज में पूर्ण और प्रभावशाली भागीदारी एवं समावेशन;

(घ) मानवीय विविधता और मानवता के आधार पर दिव्यांगजनों की स्वीकार्यता और अंतर के लिए आदर;

(ङ) अवसर की समानता;

(च) अभिगम्यता;

(छ) पुरुष और महिला में समानता;

(ज) दिव्यांग बच्चों में क्षमता विकास के प्रति सम्मान और दिव्यांग बच्चों को अपनी पहचान बनाए रखने के अधिकार के प्रति सम्मान,

(झ) दिव्यांग बच्चों के लिए जोखिम भरी स्थिति, सशस्त्र विवाद, मानवोचित आपातकाल एवं प्राकृतिक आपदा के समय समान सुरक्षा और संरक्षा |

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्राप्त होने वाले तत्संबंधी निर्देशों के अनुसार एन्ट्रिक्स, दिव्यांगजनों हेतु चिह्नित पद पर नियुक्ति हेतु उन्हें आरक्षण प्रदान करता है| नियमानुरूप, सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी आवश्यक दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को चिह्नित पद पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाता है|

कंपनी के कामकाज को प्रभावशाली ढंग से करने और दिव्यांगजनों की कार्यक्षमता को निखारने के लिए आवश्यक होने पर प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाता है| आवास उपलब्ध कराये जाने के उनके निवेदन को प्रमुखता से प्रश्रय दिया जाता है| भारत सरकार के नियमानुसार दिव्यांगजनों के लिए अन्य सुविधाएँ जैसे - विशेष छुट्टी, सामान्य दर से दोगुनी यातायात भत्ता भी प्रदान की जाती है|

एन्ट्रिक्स में दिव्यांगजनों के लिए मित्रवत् वातावरण मौजूद है| चलने-फिरने और/या खड़े होने में असमर्थ दिव्यांगजनों के लिए सोपान-मार्ग उपलब्ध है| इसकी इमारत में चार-मंज़िला है जिन पर आने-जाने के लिए उत्थापक (लिफ्ट) की सुविधाएँ उपलब्ध हैं| दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु अनुकूल शौचालय उपलब्ध हैं| उन्हें वाहन रखने के लिए अलग से स्थान चिह्नित किया गया है|

एन्ट्रिक्स ने दिव्यांग जनों की भर्ती एवं ऐसे कार्मिकों की सुविधाओं और सुखसाधनों के प्रावधानों की देखभाल के लिए श्री चिन्मय रॉय, कनिष्ठ विधि अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त कर रखा है|

'दिव्यांग जनों के अधिकार, नियम 2017 के अध्याय IV नियम 9 में वर्णित प्रारूप और तरीके के अनुसार, एन्ट्रिक्स, दिव्यांग जनों के अभिलेख अनुरक्षित रख रहा है|

एन्ट्रिक्स ने श्रीमती चित्रा विट्टल, वरिष्ठ प्रबंधक, कार्मिक एवं सामान्य प्रशासन, को दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है| 'दिव्यांगजनों के अधिकार, नियम 2017 के नियम 10 के अनुसार नोडल अधिकारी को शिकायतों के अभिलेख आदि सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है|

अनुवाद एवं टंकण
भारत भूषण, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी